भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 750

(18 सितम्बर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए)

जनजातीय क्षेत्रों में ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं

750. श्री सतीश चंद्र दुबेः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा कर किः

(क) विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही ग्रामीण विकास संबंधी विविध यजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक यजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है;
(ख) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य भूमि पर निवास कर रहे जनजातीय लगों क मालिकाना हक देने का विचार रखती है;
(ग) यदि हां, त तत्संबंधित ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआर ी) जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में रजगार सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आजीविका के अवसरों क सुदृढ़ बनाना, स्वरजगार क बढ़ावा देना, ग्रामीण युवाओं क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, सामाजिक सहायता का प्रावधान, बुनियादी ांचे का विकास आदि के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रजगार गारंटी यजना (मनरगा यजना), दीनदयाल अंत्यादय यजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल यजना (ी ीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री आवास यजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क यजना (पीएमजीएसवाई), श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन (एसपीएमआरवाईएम), सांसद आदर्श ग्राम यजना (एसएवाईजी) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस संबंध में विवरण **अनुबंध-।** में दिया गया है।

(ख) और (ग): जनजातीय मामले मंत्रालय (एमओटीए) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम (एफआरए) के कार्यान्वयन क प्रशासित करता है। यह अधिनियम उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर व्यवसाय के अधिकारों क मान्यता देता है ज कई पीढ़ियों से वनों में रह रही हैं, लेकिन जिनके अधिकार रिकॉ में दर्ज नहीं किए जा सके हैं। इसका उद्देश्य प्रदान किए गए वन अधिकारों और ऐसी मान्यता तथा वन भूमि से संबंधित अधिकार देने के साक्ष्य क रिकॉ में दर्ज करने का फ्रेमवर्क उपलब्ध कराना है। एफआरए और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत, राज्य सरकारें अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

(घ): सरकार सड़क और अन्य अवसंरचना सहित जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमजीएसवाई और एसपीएमआरएम ग्रामीण अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के तहत सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए जनजातीय (अनुसूची 5) और चयनित आदिवासी पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और यजना आयग द्वारा की गई पहचान के अनुसार) क छूट प्रदान की गई है। एसपीएमआरएम चयनित ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों क सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक रूप से स्थायी क्षेत्रों में बदलने का प्रयास है और इन क्षेत्रों क आर्थिक, सामाजिक और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके इनके सुदृढ़ीकरण का प्रयास करता है, जिससे देश में सतत और संतुलित क्षेत्रीय विकास ह है।

*****

अनुबंध-।

राज्य सभा में दिनांक 18.09.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 750 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा याजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरी राजगार प्रदान करने के लिए मांग आधारित कार्यक्रम है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राजगार गारंटी अधिनियम, ऐसे प्रत्येक परिवार जिनका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक हों, उन्हें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के मजदूरी राजगार की गारंटी देता है। इस याजना के तहत, आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क और अन्य बुनियादी ांचे से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस अधिनियम के पैरा 5 की अनुसूची-1 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम (एफआरए), 2006 (2007 का 2) के लाभार्थियों की प्राथमिकता का निर्धारण इस श्रेणी के परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि या वास भूमि के विषय में व्यक्तिगत परिसंपत्ति के संबंध में किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास याजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्णशीर्ण मकानों में रहने वाले परिवारों क वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-जी के तहत, राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य का 60% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है।

यह मंत्रालय देशभर में आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण गरीब महिलाओं क स्वसहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने के उद्देश्य से वर्ष 2011 से दीनदयाल अंत्याद्रय याजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (ीएवाई-एनआरएलएम) क मिशन म में लागू कर रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार करने तथा घर गरीबी से बाहर निकलने के लिए उन्हें आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने में सहायता करने के लिए जब तक कि उनकी आय में सराहनीय वृद्धि नहीं ह जाती है, तब तक उन्हें निरंतर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमएवाई-जी और ीएवाई-एनआरएलएम के तहत आवंटित कुल निधि इस प्रकार है:

(रुपए कर में)

कार्यक्रम	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
पीएमएवाई-जी (एसटी हे- संश धित अनुमान चरण चरण के तहत)	5368.28	4564.75	4675.00	3413.00 (बजट अनुमान)
ीएवाई-एनआरएलएम	2028.00	3043.36	4292.90	4828.46 (बजट अनुमान)

पीएमजीएसवाई क्षेत्र विकास कार्यक्रम है और कार्यक्रम की इकाई एक आवास है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लक्षित बसावटों की पूरी आबादी की पहुँच आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसके अंतर्गत निर्मित सड़कों क पात्र बस्तियों से जाड़ना है। तथापि, जनजातीय (अनुसूची V) और चयनित आदिवासी पिछड़े जिलों (गृह मंत्रालय और याजना आयाग द्वारा की गई पहचान के अनुसार), और वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इन क्षेत्रों में कार नेटवर्क में और 250 और इससे अधिक व्यक्तियों वाली असंबद्ध बस्तियां ज इस स्कीम के तहत कनेक्टीविटी के लिए पात्र हैं उनमें छूट प्रदान की गई है। इस याजना के तहत 2,31,376 कराड़ रुपए के खर्च से कुल 6,31,142 किलामीटर सड़क की लंबाई का निर्माण किया गया है। वर्तमान वर्ष के संबंध में देश में याजना के कार्यान्वयन के लिए 19,500 कराड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है।

एसपीएमआरएम क विकास की दहलीज पर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में उत्प्रेरक हस्तक्षेप करने के लिए ि़ज़ाइन किया गया है। एसपीएमआरएम के तहत, देश भर में विषयगत आर्थिक विकास बिंदुओं के साथ जनजातीय क्षेत्र समूहों के रूप में वर्गीकृत 104 सहित 300 रुर्बन क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इस मिशन के लिए स्वीकृत कुल परिव्यय 5142.08 कराड़ रूपए है।